तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **शिम्भूदयाल बनाम मालीराम** **339/18**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर सीकर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन आदेश दिनांक 22.09.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जबकि जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश की विरूद्ध अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही होने के कारण अपीलान्ट की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम का संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने से अधिवक्ता अपीलान्ट को वापस लौटाई जावे तथा न्यायालय हाजा की पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	